Office of the Accountant General (A&E), Kerala,
P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039,
Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-74/UP

Dated: 21/08/2017

To

All District/Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Implementation of Government decision of 7th Central Pay Commission revision of Pension /Family Pension to Uttar Pradesh Pay Commission (2016)-Revision of pension of pre-2016 pensioners/family pensioners etc.

Ref: 1.SSA No.Pension Miscellaneous/Dearness Relief/53/478 dated 03/08/2017 of Accountant General (A&E)-II, Allahabad,Uttar Pradesh.
2.OM No. 39/2016-Gen-3-923/X-2016-308/2016 dated 23/12/2016 of Finance (General) Section-3, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith copies of Government orders issued by the Government of Uttar Pradesh regarding Implementation of Government decision of 7th Central Pay Commission revision of Pension /Family Pension to Uttar Pradesh Pay Commission (2016)-Revision of pension of pre-2016 pensioners/family pensioners forwarded to this office with SSA by Principal Accountant General (A&E)-II,Uttar Pradesh, in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in) under the link :- ***"Treasury endorsement of orders for other states"***. A copy of the same may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer

Copy to:-

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Sr. Accounts Officer

P19/II/DRSSA/74
21/8/17

विशेष मुद्रांकन स्पेशलसील सहित।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (ACCOUNTS & ENTITLEMENT) 2, U.P.
इलाहाबाद/ALLAHABAD

सत्यमेव जयते

P19 202342 17-8-17

पत्र सं. Letter No. : पे०वि०/ मं०रा०/ वा०रा०/ एवी० 53/478

दिनांक Date : 03.08.2017

सेवा में,

वरिष्ठ लेखाधिकारी / पेंशन
भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (ले०एवं हक०) का
कार्यालय केरल, एम.जी रोड
तिरुवनन्तपुरम - 695001

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य का 01.01.16 से सातवें वेतन आयोग का शासनादेश पुनः प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक P19/II/ D.R/ Fax/ U.P/2/2017-18 दिनांक 19.7.17 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया है कि अभी तक उ०प्र० राज्य का 01.01.16 से सातवें वेतन आयोग का शासनादेश प्रधान महालेखाकार (ले०एवं हक०) केरल, तिरुवनन्तपुरम को अप्राप्त है।

अत: उपरोक्त शासनादेश स्पेशल सील के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक पे०वि०/ मं०रा०/ वा०रा०/ 478 दिनांक 03.8.17 द्वारा आपके कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले०एवं हक०) केरल, तिरुवनन्तपुरम को प्रेषित कर दिया गया है। पुनः छाया प्रति प्रेषित है / उपरोक्त शासनादेश की अंग्रेजी भाषा अनुवाद उ०प्र० शासन से अप्राप्त है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(signature)

लेखाधिकारी / पेंशन निधि

२०, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद - २११ ००१ दूरभाष : कार्यालय २६२२६२५ - २६२२६२६ फैक्स : ०५३२-२४२३४०२
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad, 211 001 Phones : Off. 2622625, 2622626 Fax : 0532-2423402

संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2016

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग-2 की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016, दिनॉक 16-12-2016 द्वारा किये जाने के अनन्तर श्री राज्यपाल दिनॉक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने संबंधी प्रावधानों का विनियमन करने वाले प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

2- यह आदेश उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स द्वारा नियंत्रित राज्य सरकार के उन पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश लिबरलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं, तथा जो दिनॉक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त या दिवंगत हो चुके हैं, पर लागू होंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in